संशोधित पत्र

प्रेषक,

उप निदेशक (स्था0),
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।

सेवा में,

1—समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
2—संयुक्त निदेशक, कुमायू मण्डल, हल्द्वानी / गढवाल मण्डल, श्रीनगर।
3—स्थापना निदेशालय, हल्द्वानी।

पत्रांक— 5631 डीटीईयू / स्था0 / स्थाना0 / 2026 दिनांकः 22 जून, 2026

विषय— अनिवार्य स्थानान्तरण—2026—27 के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पात्र कार्मिकों के विकल्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 30/xxx-2/2018-30(13)2017 दिनांकः 06 फरवरी, 2018 के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण 2026—27 हेतु निदेशालय के पत्रांकः 5593—94 / डीटीईयू / स्था0 / स्थाना0 / 2026 दिनांकः 20 जून, 2026 के द्वारा **मिनिस्ट्रियल संवर्ग** के सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिकों की सूची विभाग की वैबसाइट www.vpputtarakhand.in पर प्रदर्शित की गयी है। शासनादेश संख्याः 30/xxx-2/2018-30(13)2017 दिनांकः 06 फरवरी, 2018 की धारा 9 एवं 12 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से विकल्प मांगे गये।

उक्त के क्रम में **मिनिस्ट्रियल संवर्ग की वरिष्ठ सहायक की सुगम से दुर्गम की पात्रता** सूची, प्रधान सहायक तथा कनिष्ठ सहायक संवर्ग में रिक्तियों की सूची को **संशोधित कर** पुनः प्रेषित किया जा रहा है। जिसे विभाग की वैबसाइट पर पुनः प्रदर्शित किया जा रहा है। अतः अपनी पात्रता के अनुसार अधिकतम 10 विकल्प व शासनादेश में दिये गये प्रावधानों के अनुसार छुट / अनुरोध हेतु पात्र कार्मिक अपना प्रत्यावेदन दिनांकः 25.06.2026 तक निदेशालय की ई. मेल—dteu@rediffmail.com पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(आर0एस0 मतोलिया)
उप निदेशक (स्था0)